अपील सूचना अधिकार संख्या 85/2022(GCMS 2022/295)(आरटीआई नं. 212839086997617) रामबिलास शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा निवासी 4–ई–40, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

<u>30.05.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामबिलास शर्मा ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2022 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी रामबिलास शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से निम्न चार बिन्दुओ की सूचना चाही थी:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. ग्रीवेन्स 9डी (सम्पर्क) 082207813415189 दिनांक 09.08.2022 शिकायतकर्त्ता नीरज सिंह की तरफ से दर्ज शिकायत में पटवारी हल्का चक 20 बीबी द्वितीय त. पदमपुर की रिपोर्ट चक 20 बीबी द्वितीय के मु.नं. 34 के कि.नं. 3 व 8 में मौके की स्थिति की रिपोर्ट बाबत।
2. माह जुलाई 2022 में पदमपुर मिल्क चिलिंग सैंटर की अनुमति का अनुज्ञा पत्र व उसके संलग्न रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां हाईकोर्ट में भेजने हेतु।
3. चक नं. [illegible] बीबी द्वितीय [illegible] 127/118 खातेदार राजकुमार पुत्र अवन्तराम [illegible] की मु.नं. 34 के कि.नं. 3/1,8 [illegible] आबादी की स्थिति तथ्यात्मक बिन्दुओं के आधार पर मौका पर किस्म/[illegible] of Land की सूचना की प्रमाणित प्रति High Court प्रस्तुत करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:04:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर

4. मौका पर नवस्थापित पदमपुर चिलिंग सैंटर कौन से मु.न. एवं किला नं. में अवस्थित है, जिसका उद्घाटन कौन से महीने का वर्ष का है, उक्त सूचना/जानकारी हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रस्तुत करनी है।

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपने पत्रांक सूचना का अधिकार/2022/1379 दिनांक 27.09.2022 से प्रार्थी का मूल पत्र तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर को स्थानान्तरित कर दिया और अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया था। तहसीलदार (भू.अ.), पदमपुर ने अपीलार्थी को अपने पत्रांक भू.अ./2022/4323 दिनांक 21.10.2020 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

सूचना के अधिकार अधि. 2005 की धारा 6(1) के तहत आप द्वारा मांगी की सूचना का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मांगी गई सूचना	सूचना का विवरण
1	ग्रीवेन्स 9डी (सम्पर्क) 082207813415189 दिनांक 09.08.2022 शिकायतकर्त्ता नीरज सिंह की तरफ से दर्ज शिकायत में पटवारी हल्का चक 20 बीबी द्वितीय त. पदमपुर की रिपोर्ट चक 20 बीबी द्वितीय के मु.नं. 34 के कि.नं. 3 व 8 में मौके की स्थिति की रिपोर्ट बाबत।	रिपोर्ट पटवारी संलग्न है।
2	माह जुलाई 2022 [illegible] मिल्क [illegible] अनुमति [illegible] व उसके संलग्न रिकॉर्ड [illegible] की प्रमाणित प्रतियां हाईकोर्ट में भेजने हेतु।	अनुज्ञा क्रमांक दिनांक जारी कर्त्ता कार्यालय का विवरण प्रार्थना में अंकित नहीं होने से सूचना दी जानी संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:04:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर

3	चक नं. 20 बीबी द्वितीय खाता सं.127/118 खातेदार राजकुमार पुत्र अवन्तराम प्रा.लि. की मु.नं. 34 के कि.नं. 3/1,8 की नहरी/गैर मुमकिन आबादी की स्थिति तथ्यात्मक बिन्दुओं के आधार पर मौका पर किस्म/ Nature of Land की सूचना की प्रमाणित प्रति High Court प्रस्तुत करने	जमाबन्दी ऑनलाईन है, श्रीमान् तहसीलदार, महोदय के डीजीटल हस्ताक्षरित तहसील/ सेवा केन्द्रों पर सर्व सुलभ है। सूचना के अधिकार अधि. 2005 में तथ्यात्मक बिन्दुओं के आधार सूचना तैयार कर प्रदान करने के प्रावधान नहीं है।
4	मौका पर नवस्थापित पदमपुर चिलिंग सैंटर कौन से मु..न. एवं किला नं. में अवस्थित है, जिसका उद्घाटन कौन से महीने का वर्ष का है, उक्त सूचना/जानकारी हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रस्तुत करनी है।	सूचना के अधिकार अधि. 2005 में प्रश्नवाचक सूचना प्रदान करने के प्रावधान नहीं है।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
पदमपुर

तहसीलदार, पदमपुर ने अपने पत्रांक 4323 दिनांक 21.10.2022 से अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे सूचना को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को उन तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:04:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार तहसीलदार (राजस्व), पमदपुर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओ को देखते हुए **तहसीलदार (भू.अ.), पदमपुर को निर्देशित किया जाता है कि** अपीलार्थी **बिन्दु संख्या 02 में अंकित अनुज्ञा पत्र से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध करवा दे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार 07 दिवस में सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **उपखण्ड अधिकारी,/तहसीलदार पदमपुर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:04:33 IST
Reason: SelfAttested